


दिनांक 08/10/24 का पेश है।



08/10/24  
उपखण्ड अधिकारी

विभाग का अधिकारी (पत्रिका)

08/10/24

पत्रिका पेश हुई, आर्यो प्राचीनो अनुपरिषत्।  
एवं प्राचीनो आ अनुपरिषत्, आर्यो अप्राची  
उपरिषत्। तीन बार कक्ष-2 पर आवाज लगाई



हुकम

हुकम या कार्यवाही या नये शि कारावर सा जना

गई लेकिन कोर्ट की उपस्थित नहीं हुआ।  
 विगत लखनऊ पेशी पर भी प्रार्थना अनु  
 रहे। मूल्काट को खारिज किया जा चुका  
 है। अतः यह प्रकरण भी अदालत हाथों  
 अदालत पैरवी में (under order of Rule 8 CPC)  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ  
 होश नम्बर से कस होश खारिज फर्मा  
 लै।

*[Signature]*  
 08/10/24

उपखण्ड अधिकारी  
 पिड़वा, जिला झालावाड़ (राज०)

